न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास–श्री अरूण कुमार पुरोहित, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –117/2025
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर –2025/137

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
कन्हैयालाल (कानाराम पुत्र कनीयालाल) पुत्र रामकरण, जाति–खाती, निवासी–सोमणा, तहसील–डेह, जिला–नागौर		नायब तहसीलदार, डेह जिला नागौर

उपस्थितिः–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री श्याम बारूपाल।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनियां ।

:: निर्णय :: दिनांक :– 11.11.2025

1–अपीलांट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 नायब तहसीलदार,डेह द्वारा प्रकरण संख्या 06/2025 अन्वान सरकार बनाम कानाराम (कन्हैयालाल) प्रकरण दफा 91 एल.आर.एक्ट. में पारित निर्णय दिनांक 18.06.2025 के विरूद्ध पेश की हैं।

2–अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिए सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनियां उपस्थित हुवे।

3–वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलांट ने दौराने बहस अपील में दर्ज तथ्यों को पुनः दोहराते हुए मुख्य रूप से यह कथन किया कि पटवारी हल्का सोमणा ने एक मिथ्या रिपोर्ट तहसील कार्यालय डेह में इस आशय की पेश की कि मौजा सोमणा के खसरा नं. 359 रकबा 3.5649 हैक्टेयर किस्म गे.मु. गोचर पर अनाधिकृत रूप से गैर सायल ने कब्जा जरिये बाड़ा व टांका बना कर किया है। उक्त रिपोर्ट पर अपीलांट/अप्रार्थी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया। जिस नोटिस की अपीलांट पर तामिल होने पर अपीलांट ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि ग्राम सोमणा के खसरा नं. 359 रकबा 3.5549 हैक्टेयर पर उनका कोई अतिक्रमण नहीं है तथा उक्त खसरा नं. 359 मौजा सोमणा के पुराने खसरा नं. 371 जो गैर मुमकिन मगरा भूमि है जिस पर संवत 2040 से मेरा कब्जा काश्त है अर्थात गैर सायल करीब 40 वर्षो से काश्त कर रहा है। उक्त जमीन में से ही गैर सायल के पिता रामकरण पुत्र गोकुल को भूमि आवंटन हुई थी, जिसकी जमाबन्दी की नकल साथ में पेश की थी व आगे निवेदन किया कि ग्राम सोमणा में गैर मुमकिन गौचर जमीन कुल खसरे 101 रकबा 673.0076 हैक्टेयर आई हुई है उक्त गैर मुमकिन गौचर जमीन पर गांव के मोजीज लोगो ने अतिक्रमण कर रखे है जिनको सार्वजनिक हित में अतिक्रमण हटवाया जाना आवश्यक है व यह भी निवेदन किया कि गैर मुमकिन गौचर जिनके तकरीबन 101 खसरे है, पर से भी अतिक्रमण हटवाने की कार्यवाही की जावे। यह भी निवेदन किया

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर, नागौर

कि भीकाराम पुत्र भैरूराम, रामकरण पुत्र बंशीलाल जातियान कुम्हार निवासीगण सोमणा तहसील डेह का भी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण है,उक्त अतिक्रमण को हटवाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना बताया व अपीलांट के विरूद्ध धारा 91 एल. आर. एक्ट की कार्यवाही खारिज करने का निवेदन किया है। उपरोक्त जवाब गैर सायल ने दूसरी ही तारीख पेशी दिनांक 16.4.2025 पर न्यायालय में पेश कर दिया था। तत्पश्चात तारीख पेशी दिनांक 23.5.2025, दिनांक 6.6.2025 को पीठासीन अधिकारी राजकार्य में व्यस्त होने की आदेशिकाऐ दर्ज हुई व आगामी पेशी प्रकरण में दिनांक 18.6.2025 को नियत की गयी व उक्त पेशी पर यह आदेशिका दर्ज हुई कि गैर सायल को जारी नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल रहे गैर सायल सूचना के बावजूद अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए जवाब व साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर बन्द किया जाकर गैर सायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर लगान का 50 गुणा जुर्माना व भौतिक रूप से बेदखल करने का आदेश बिना पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किये पारित कर दिया। जबकि अपीलांट की तामिल होकर जवाब पेश करने की आदेशिका दिनांक 16.4.2025 को ही दर्ज की गई हैं व अपीलांट को यही कहा गया कि आगे की पेशी की सूचना कर दी जायेगी, आपको अब आने की जरूरत नहीं है जिससे अपीलांट निश्चित रहा व तत्पश्चात बिना पत्रावली को देखे ही दिनांक 18.6.2025 को नोटिस तामिल होना प्राप्त होने व जवाब, साक्ष्य सबूत का अवसर बंद करने की आदेशिका दर्ज कर निर्णय पारित किया है व उसकी जानकारी हाल ही में प्रमाणित प्रतियां दिनांक 30.7.2025 को प्राप्त होने पर हुई, जिस पर अपील की कानूनी राय मिली तत्पश्चात अपील की तैयारी करके आज नागौर आकर अधिवक्ता नियुक्त कर सारे हालात बताये व अपील तैयार करवा कर दिनांक 08.08.2025 को ही यह अपील पेश कर दी थी। इसलिए निवेदन हैं कि अपील अपीलांट अन्दर मयाद शुमार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.06.2025 निरस्त फरमाया जावें।

4. विद्वान वकील राजपैरोकार का दौराने बहस कथन हैं कि अपीलांट द्वारा गै0मु0 गौचर की भूमि पर अतिक्रमण किये जाने से उनके विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में कार्यवाही की जाकर बेदखली एवं जुर्माना से दण्डित किये जाने का आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 18.06.2025 को पारित हैं,जो सही पारित किया गया हैं। इसलिए अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावें।

5. बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा इसी न्यायालय में अपील संख्या 143/2025 प्रस्तुत की हैं जिसमें उन्होंने यह स्वीकार किया हैं कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.06.2025 की पालना में उनके द्वारा अतिक्रमण हटाया जा चुका हैं। इस प्रकार अपीलांट स्वयं की स्वीकृति अनुसार इस अपील में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.06.2025 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता नहीं हैं। इसलिए अपील अपीलांट खारिज योग्य हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख पत्रावली मय निर्णय के प्रति के भिजवाया जावें।

निर्णय आज दिनांक 11.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

(अरूण कुमार पुरोहित)
जिला कलक्टर,
नागौर

कलक्टर, नागौर